न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–189/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00428)

1. बृजमोहन मातनहेलिया पुत्र श्री बनारसी लाल मातनहेलिया, जाति महाजन, निवासी ग्राम सूरजगढ, जिला झुन्झुनू हाल निवासी मौहल्ला गुलाम अलीपुरा जिला बेहरीच, उत्तरप्रदेश जरिये मुख्त्यारनामा खास स्वदेश कुमार कापड़िया पुत्र श्री पुरूषेत्तम लाल कापड़िया निवासी सूरजगढ, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

––निगरानीकर्ता

बनाम

1. नगर पालिका सूरजगढ जरिये अध्यक्ष, नगर पालिका सूरजगढ़।
2. रामनारायण नारनौली पुत्र श्री देवीदत्त शर्मा नारनौली, जाति ब्राहाम्ण निवासी सूरजगढ, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू, राजस्थान (मृतक)
   2/1. श्याम सुन्दर नारनौली पुत्र स्व. श्री रामनारायण नारनौली, जाति ब्राहाम्ण निवासी सूरजगढ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 05.08.2019

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम बाबत निरस्त कराने पट्टा संख्या 49 दिनांक 16.02.1983 द्वारा जारी अध्यक्ष, नगर पालिका सूरजगढ व प्रति हस्ताक्षरित अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरजगढ के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि कस्बा सूरजगढ वार्ड संख्या 3 में एक नौहरा जिसके उत्तर में मकानात व नोहरा रामेश्वर लाल जोशी, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में श्री सीताराम फतेहपुरिया व पश्चिम में रास्ता आम (पालीवाल मार्ग) है, उक्त नोहरा नगर पालिका रजिस्टर में श्री हरचन्दराय हरजीमल मातनहेलिया के नाम से क्रम संख्या 561 मौहल्ला 226 पर अंकित था, हरचन्दराय हरजीमल का देहान्त होने के बाद उनके पुत्र लक्ष्मीनारायण उक्त सम्पत्ति के वारिस के हिसाब से मालिक हुए, लक्ष्मीनारायण का भी देहान्त हो गया और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बनारसी लाल बतौर वारिस उक्त सम्पत्ति के मालिक हुए, बनारसी लाल जी की भी मृत्यु हो चुकी है, अतः उनके पुत्र यानि निगरानीकर्ता बृजमोहन मातनहेलिया बतौर वारिस उक्त सम्पत्ति के स्वामी हो गये।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 रामनारायण नारनौली ने नगर पालिका कर्मचारियों एवं तत्कालीन चेयरमेन सुरेश कुमार शर्मा से सांठ–गांठ कर नगर पालिका रजिस्टर में प्रार्थी को बिना कोई नोटिस दिये व बिना सुने हरचन्दराय हरजीमल का नाम काटकर अपना नाम दर्ज करवा लिया एवं बाद में पट्टा भी जारी करवा लिया, जबकि प्रार्थी हरचन्दराय हरजीमल का वारिस होने के कारण उक्त नोहरे का कानूनन वारिस है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रार्थी ने जब नगर

P.T.O.

पालिका से उक्त विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में रिकार्ड प्राप्त किया तो उसे ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 2 ने कूटरचित दस्तावेजों जिसमें दानपत्र एवं शपथ पत्र शामिल है के आधार पर नगर पालिका सूरजगढ के कर्मचारियों एवं अध्यक्ष से साजिश कर विधि विरूद्ध पट्टा नम्बर 49/2 बनाया है जिसकी शिकायत प्रार्थी ने नगर पालिका सूरजगढ के समक्ष प्रस्तुत की और नगर पालिका के सदस्यगण ने दिनांक 27.07.1985, 22.04.1986, 16.10.1987 को स्वायत्त शासन विभाग में भी प्रार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायतें प्रस्तुत की गई, उक्त शिकायतों के अलावा भी प्रार्थी निरन्तर रूप से नगर पालिका सूरजगढ द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करवाने की कार्यवाही करता रहा है और उसे यह आश्वासन प्राप्त होता रहा है कि उक्त पट्टा निरस्त कर दिया जावेगा लेकिन आज दिनांक तक अप्रार्थी रामनारायण नारनौली के पक्ष में जारी पट्टा न तो निरस्त किया गया और न ही निरस्त करने की प्रभावी कार्यवाही की गई बल्कि नगर पालिका सूरजगढ के अधिशाषी अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 2 के हक में प्रामण पत्र जारी कर प्रमाणित किया कि उक्त नोहरा रामनारायण नारनौली के स्वामित्व का है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 49/2 व नगर पालिका रिकार्ड में हरचन्दराय हरजीमल की सम्पत्ति को अप्रार्थी संख्या 2 के हक में किया गया हस्तान्तरण विधि विरूद्ध व विरूद्ध पत्रावली होने के कारण निरस्त होने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रार्थी के पूर्वज श्री हरचन्दराय हरजीमल ने कभी भी उक्त सम्पत्ति का बेचान व दान अप्रार्थी संख्या 2 के हक में नही किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त सम्पत्ति को हड़पने की नियत से साजशी दस्तावेज तैयार कर नगर पालिका अधिकारियों एवं तत्कालीन सचिव से सांठ–गांठ कर नगर पालिका रजिस्टर में कांट–छांट करवाकर विवादित सम्पत्ति अपने नाम करवा ली और बाद में पट्टा भी जारी करवा लिया, प्रार्थी व उसके पूर्वजों ने कई शिकायते की लेकिन फिर भी पट्टा निरस्त नही किया गया ऐसी स्थिति में निगरानी याचिका प्रस्तुत करना लाजमी हो गया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी किया गया पट्टा नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध है क्योंकि पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई प्रस्ताव लिया गया और नही हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस दिया गया, प्रार्थी की ओर से उक्त पट्टा जारी करने के सम्बन्ध मे थानाधिकारी सूरजगढ के यहॉ रिकार्ड में हेराफेरी करने बाबत शिकायत की हुई है ऐसी सूरत में नगर पालिका द्वारा जारी पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका को स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 49/2 व नगर पालिका रिकार्ड में हरचन्दराय हरजीमल की सम्पत्ति को अप्रार्थी संख्या 2 के हक में किया गया हस्तान्तरक को अवैध शून्य प्रभावी एवं निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें एवं नगर पालिका सूरजगढ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिला झुन्झुनु के रिकार्ड में मूल मालिक हरचन्दराय हरजीमल मातनहेलिया के वारिस बृजमोहन मातनहेलिया का नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निगरनी के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि निगरानी की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार वर्णित किये गये है अस्वीकार है व वास्तविकता यह है कि हस्तगत सम्पत्ति नोहरा अप्रार्थी संख्या 2 के पिता देवीदत्त शास्त्री को उनकी चेली छीमा देवी द्वारा दिनांक 21.08.1945 को दान किया गया था व तत्पश्चात् नगर पालिका सूरजगढ द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से उक्त नोहरे का पट्टा निश्चित शुल्क लेकर दिनांक 16.06.1983 को जारी कर दिया जिसका पट्टा संख्या 49/2 है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 प्रश्नगत नोहरे का एकमात्र स्वामी काबिज है। उन्होने आगे कथन किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य मनगढंत आधारों पर वर्णित किये गये है क्योंकि नगर पालिका सूरजगढ द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों की जॉच करने के पश्चात् ही नियमानुसार उचित शुल्क लेकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा दिनांक 16.06.1983 को जारी किया गया है, निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को नाहक हैरान परेशान करने के लिये हस्तगत निगरानी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अति विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा सही व स्पष्ट तथ्य न्यायालय श्रीमान् के समक्ष तथ्य उजागर नही किये है जबकि कि वास्तविक स्थिति यह है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा एक दीवानी वाद संख्या 43/95 (132/001) विरूद्ध पुरूषोत्तम व अन्य बाबत प्राप्त करने कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) चिडावा जिला झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो कि प्रथमतः दिनांक 20.01.2006 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में एक पक्षीय डिक्री किया गया था, तत्पश्चात् पुनः वाद जीवित होने पर प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया था व यह कथन किया गया था कि चूँकि प्रार्थी सम्पत्ति का एकमात्र वारिस है इसलिये प्रार्थी को मामले की सुनवाई का अवसर दिया जावे, जिस पर सिविल न्यायाधीश महोदय द्वारा पूर्ण विवेचन करते हुए निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया गया व न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दिया गया कि प्रार्थी (हाल निगरानीकर्ता) द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात से प्रार्थी का हरचन्दराय हरजीमल मातनहेलिया का वारिस होना किसी भी प्रकार से स्थापित नही होता है क्योंकि प्रार्थी के पिता बनारसी लाल किसके वारिस थे यह प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट नही होता है। उन्होने आगे कथन किया है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश द्वारा निगरानीकर्ता को किसी भी रूप में सम्पत्ति से सम्बन्धित नही होना माना तथा निर्णय दिनांक 28.10.2014 द्वारा उपरोक्त दावा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में डिक्री किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में निगरानी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) चिड़ावा जिला झुन्झुनू के समक्ष दायर वाद बाबत प्राप्त करने कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय दिनांक 20.01.2006 द्वारा रेस्पोडेन्ट का वाद अपीलार्थी के विरूद्ध डिक्री किया गया है एवं सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.07 द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 खारिज किया गया है एवं निर्णय दिनांक 28.10.2014 द्वारा रेस्पोडेन्ट का वाद निगरानीकर्ता के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन प्रतीत होती है, जो खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है एवं पट्टा संख्या 49 दिनांक 16.02.1983 द्वारा जारी अध्यक्ष नगर पालिका सूरजगढ व प्रति हस्ताक्षारित अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरजगढ यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।